बंधुआ मुक्ति मोर्चा

समाज के अंतिम पायदान
पर खड़े व्यक्ति के लिए संघर्षरत

बंधुआ मुक्ति मोर्चा

दासता एक निरंतर मानवीय त्रासदी

भारत में विभिन्न रूपों में दासता सदियों से मौजूद रही है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली आधुनिक रूप की दासता है और इसमें बच्चों की बंधुआ मजदूरी भी शामिल है। ये दोनों सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न होती हैं।

संवैधानिक अधिकारों, कठोर कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बावजूद, भारत में अनुमानित 3 करोड़ बंधुआ मजदूर और 6.5 करोड़ बाल बंधुआ मजदूर आज भी मौजूद हैं।

बाल श्रम मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। 5–15 वर्ष के आयु के बच्चों को कृषि और विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे कि माचिस, ताले, कालीन, हथकरघा, पत्थर की खदान, ईंट भट्टे, चमड़ा उद्योग आदि।

लाखों बच्चे गरीब परिवारों में जन्म लेते हैं और उनके ऊपर उनके माता–पिता के ऋण का बोझ होता है। वे स्कूल नहीं जा पाते, खेल–कूद और सामान्य बचपन का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपने माता–पिता का ऋण चुकाने के लिए दिन में 16

घंटे तक काम करना पड़ता है। उन्हें वस्तुओं की तरह बेचा जाता है। इसे बाल दासता कहा जाता है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा

बंधुआ मुक्ति मोर्चा भारत में बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कार्य करने वाला अग्रणी सामाजिक संगठन है। इसकी स्थापना 1981 में स्वामी अग्निवेश जी ने अपने साथियों के साथ की थी। इनमें विशेष रूप से स्वर्गीय प्रो. स्योताज सिंह जी शामिल थे, जिन्होंने अपनी सेवा (नौकरी) छोड़कर इस कार्यक्षेत्र में जीवन के अंतिम क्षण तक समर्पित होकर कार्य किया। स्वामी अग्निवेश जी ने हरियाणा सरकार में मंत्री पद छोड़कर बंधुआ मजदूरी जैसी अमानवीय प्रथा के खिलाफ संघर्ष का मार्ग चुना। उन्हें 2004 में Right Livelihood Award (वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार) सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया।

केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में मुक्त बंधुआ मजदूर बंधुआ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक स्वामी अग्निवेश जी से मिलते हुए

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बंधुआ मजदूरी के खिलाफ पहला संगठन है। हरियाणा के पत्थर खदान मजदूरों की पीड़ा पर दायर बंधुआ मुक्ति मोर्चा की जनहित याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के

मुख्य न्यायधीश, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने 1983 में ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जिन मजदूरों को न्यूनतम पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, तथा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है उन्हें बंधुआ मजदूर माना जाएगा।

संभल उत्तर प्रदेश से मुक्त हुए बंधुआ मजदूर

मुख्य उद्देश्य

1. बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास।
2. बाल श्रम और बाल दास्ता के विरुद्ध अभियान।
3. न्यूनतम मजदूरी और श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष।
4. सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता।

कठुआ, जम्मू कश्मीर से मुक्त हुए बंधुआ मजदूर

उपलब्धियां:

1,78,000 बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, जिनमें 26,000 बच्चे शामिल।

उनके पुनर्वास के लिए 7,000 घर बनाए गए और शिक्षा व स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए, जैसे:

- दयानंद शिल्प विद्यालय, गढ़ी, नई दिल्ली
- महर्षि दयानंद विद्यालय, कंचनपुरा, गुना, मध्य प्रदेश
- महर्षि दयानंद स्वास्थ्य केंद्र, बांसखेड़ी ,शिवपुरी, मध्य प्रदेश
- महर्षि दयानंद शिल्प विद्यालय, बांसखेड़ी ,शिवपुरी, मध्य प्रदेश
- सुगम वेदाश्रम, चंद्रपडी, नागपट्टिनम, तमिलनाडु

बंधुआ मुक्ति मोर्चा, फाइट फॉर जस्टिस अवार्ड (Fight 4 Justice Award) से सम्मानित

दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को India Habitat Centre नई दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा को फाइट फॉर जस्टिस अवार्ड (Fight 4 Justice Award) से सम्मानित किया गया।

यह अवार्ड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह जी के द्वारा दिया गया।

अनौपचारिक विद्यालय

सहरिया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है, विशेषकर शिवपुरी जिला, गुना जिला तथा विदिशा जिला में। परंपरागत रूप से ये लोग वनवासी रहे हैं, लेकिन जंगलों के संसाधनों के लगातार क्षय के कारण इन्हें अपने पारंपरिक व्यवसाय और आजीविका से दूर होना पड़ा।

लगातार सूखा और वैकल्पिक संसाधनों की कमी ने इन्हें और अधिक असुरक्षित बना दिया है। अधिकांश सहरिया परिवार भूमिहीन हैं और उनके पास कोई लाभकारी कौशल या प्रशिक्षण नहीं है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती है।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा गुना जिले में एक अनौपचारिक विद्यालय संचालित किया जा रहा है। यह विद्यालय वर्ष 2003 में प्रारंभ किया गया था। इस पहल के माध्यम से बंधुआ मुक्ति मोर्चा स्लम क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों में रहने वाले गरीब और रूरतमंद लोगों के बच्चों शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पूर्व महामंत्री प्रो. स्योताज सिंह जी
मोर्चा के कार्यालय में मुक्त बाल मजदूरों से संवाद करते हुए।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

बंधुआ मुक्ति मोर्चा गढ़ी, नई दिल्ली में एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र संचालित करता है। यह एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम है, जिसे मुक्त बंधुआ मजदूरों और अत्यंत गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाया गया है।

केंद्र का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को कटिंग और सिलाई की कुशलताएँ प्रदान करना है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, महिलाएँ घर से ही काम करके अपनी आजीविका कमा सकती हैं, समुदाय से सिलाई के काम ले सकती हैं, या दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रियों में रोजगार प्राप्त कर सकती हैं।

इस पहल के माध्यम से बंधुआ मुक्ति मोर्चा हाशिए पर रहने वाली महिलाओं में आत्मनिर्भरता, वित्तीय स्वतंत्रता और स्थायी आजीविका के अवसर बढ़ाने का प्रयास करता है।

महर्षि दयानंद व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र गढ़ी, नई दिल्ली

भावी गतिविधियाँ

बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने अपने भविष्य के कार्यों के लिए निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार योजना बनाई है:

1. प्रतिभाशाली गरीब छात्रों और मुक्त बाल श्रमिकों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. गरीब और मुक्त बंधुआ मजदूरों की बेटियों की शादी के खर्चों में मदद करना।

3. उन क्षेत्रों में विद्यालय संचालित करना, जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, विशेष रूप से ईंट भट्ठा, पत्थर खदान आदि क्षेत्रों में।
4. स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार करना, जो वर्तमान में बांसखेड़ी, शिवपुरी में चल रहा है।
5. बांसखेड़ी, शिवपुरी,मध्य प्रदेश में मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करना।
6. शराब और सभी प्रकार के नशे तथा व्यसन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना।

कन्या भ्रूण हत्या

कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ है गर्भ में ही लड़की बच्चे की हत्या करना। यह ईश्वर की इच्छा और सृजन के नियमों में हस्तक्षेप है।

यह प्रथा विशेष रूप से अमीर वर्ग में देखने को मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप महिला जनसंख्या तेजी से घट रही है।

स्वामी अग्निवेश जी के अनुसार, इसका सबसे प्रभावी समाधान यह है कि गर्भवती माँ स्वयं लिंग परीक्षण से मना करें।

महिला सशक्तिकरण

स्वामी अग्निवेश जी कहते थे, हम महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएँगे, जब लड़की को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है? स्थिति इतनी भयावह है कि हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत माँ के गर्भ से ही करनी पड़ेगी। यह सामाजिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इसलिए केवल एक उत्तम संविधान बना लेने या अधिक कानून पारित कर देने से बहुत लाभ नहीं होगा। महिलाओं को जीवन में समान भागीदार के रूप में स्वीकार करना होगा। उसे उचित शिक्षा दें और उसके संपत्ति अधिकारों को मान्यता दें। बचपन से ही उसके पालन–पोषण की शैली में बदलाव लाना होगा।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा और आर्य समाज ने एक साथ मिलकर, भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य संगठनों के सहयोग से, जनवरी 2001 में नई दिल्ली में दहेज और दुल्हन जलाने की प्रथा पर पाँचवाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था ।

सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987

राजस्थान में सती प्रथा लगातार होती रही है। यदि सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 न होता, तो यह रुझान कम नहीं होता।

स्वामी अग्निवेश जी ने दिल्ली से दिवराला, राजस्थान तक लंबी पदयात्रा आयोजित की, जब 18 वर्षीय विधवा रूप कंवर को उसके पति की अंत्योष्टी के समय जलती चिता में जबरदस्ती जीवित जलाया गया। इस एतिहासिक यात्रा के बाद भारत की संसद ने एक कठोर कानुन सती प्रथा व सती महीमा मंडन के विरूद्ध बनाया था।

दलितों के लिए मंदिर प्रवेश

राजस्थान में दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था।

स्वामी अग्निवेश जी ने इस प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मंदिरों को सभी के लिए खुलवाया।

स्वयं सहायता समूह

शिवपुरी, मध्य प्रदेश के सहरिया आदिवासी गांव बान्सखेड़ी में बंधुआ मजदूरों से भी गरीब महिलाएँ रहती हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने इन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित किया। हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय चौपाल, अलवर राजस्थान
30 अप्रैल से 01 मई 2022

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी तथा
महामंत्री आदरणीय प्रो0 विठ्ठल राव जी के सानिध्य में
मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में समस्त कार्यकर्ता गण।

श्रमिक सम्मान समारोह

प्रकाश पर्व दिवाली के पावन अवसर पर बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन देशभर से आए प्रवासी श्रमिकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने और उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

इस समारोह की अध्यक्षता बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आर्यवेश जी ने की। उन्होंने श्रमिकों के संघर्ष, समर्पण और श्रम की गरिमा पर प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए।

Distribution of Blanket to Migrant Labourers at Faridabad, Haryana.

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाली
क्रेशर जोन फरीदाबाद में मजदूरों को संबोधित करते हुए।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
स्वामी आर्यवेश जी केन्द्रीय कार्यालय,
नई दिल्ली में मजदूरों की समस्याओं को सुनते हुए

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष,
स्वामी आर्यवेश जी एवं संस्थापक स्वामी अग्निवेश जी केन्द्रीय
कार्यालय, नई दिल्ली में मजदूरों की समस्याओं को सुनते हुए

कानपुर, मंगलवार 25 फरवरी 2025

बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रयासों से उत्तर प्रदेश के ईट भट्ठा से आजाद हुए छत्तीसगढ़ के 26 बंधुआ मजदूर!

राष्ट्रीय स्तर पर बंधुआ मजदूरों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने को प्रयासरत संस्था बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी की मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली जंतर मंतर पर कुछ प्रताड़ित मजदूरों ने फोन कर जानकारी दी की उत्तर प्रदेश–राज्य के जिला देवरिया, तहसील–देवरिया, गांव बरारी के कुछ ईंट भटो पर पिछले पांच माह से छत्तीसगढ के 26 मजदूरों को जबरदस्ती बंधक बनाकर धमकी देकर मजदूरी करवाई जा रही है। मजदूर घर जाना चाहते हैं परंतु भट्टा मालिक मारपीट करते हैं व किसी को घर नहीं जाने दे रहे और ना ही खाने–पीने का खर्च दे रहे हैं उनके छोटे–छोटे बच्चों को भी कड़ाके की ठंड में खुले में सोना पड़ता है जिससे इन मजदूरों के साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है।

जानकारी मिलते ही मोर्चा के कार्यकर्ता सोनू तोमर ने देवरिया जिला अधिकारी को ईमेल व फोन कर इस घटना से अवगत कराया एवं तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया जिसके पश्चात संबंधित अधिकारियों ने तहसीलदार की अगुवाई में एक दल को मौके पर भेजा मौके पर पहुंचे ।

सहयोग का आह्वान

बंधुआ मुक्ति मोर्चा आधुनिक दासता, मानवाधिकार, महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से काम करता है।

समाज में असमानताएँ मानव निर्मित हैं और सुधारी जा सकती हैं।

दान हेतु बैंक विवरण

संस्था का नाम : बंधुआ मुक्ति मोर्चा

बचत खाता संख्या : 1098101026571

IFSC CODE : CNRB0001098

SWIFT Code : CNRBINBBDDP

बैंक का नाम एवं पता

CANARA BANK

114, भूतल अंबादीप बिल्डिंग, 14 केजी मार्ग

कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001

स्वामी आर्यवेश

अध्यक्ष

सम्पर्क – बंधुआ मुक्ति मोर्चा

7 – जन्तर मन्तर रोड

नई दिल्ली – 110001

Phone - +91-11-23367943 , 23363221

Website: www.bondedlabour.org

E-mail : info@bondedlabour.org

aryavesh@gmail.com • bandhuamuktimorchan@gmail.com